वी. रवि कुमार

बनाम

राज्य, प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध

शाखा, सलेम, तमिलनाडु एवं अन्य द्वारा।

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 111)

14 दिसंबर 2018

[आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 - एस.एस. 420 और 409 आर/डब्ल्यू. धारा 34 - अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने यार्न में बदलने के लिए एक मिल को कपास लिंट की आपूर्ति की, हालांकि, सभी प्रतिवादी-अभियुक्तों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर पूरा लिंट बेच दिया और बिक्री आय को हड़प लिया - अपीलकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की गई - एफआईआर दर्ज की गई यू/एसएस. 420 और 409 आर/डब्ल्यू. अपीलकर्ता की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 34 - प्रतिवादी संख्या 2 से 13 ने धारा के तहत याचिका दायर की। सीआरपीसी की धारा 482 एफआईआर को रद्द करने के लिए - उच्च न्यायालय ने एफआईआर को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने बिना कारण बताए पिछली शिकायत वापस ले ली थी, लेन-देन वाणिज्यिक प्रकृति का था, कथित अपराधों की सामग्री अनुपस्थित थी; और इसका उपाय एक सिविल मुकदमा दायर करने में निहित है - का औचित्य - आयोजित: जहां आरोपी उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है, उच्च न्यायालय के लिए निर्णय लेने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। शिकायत में आरोपों की सत्यता - इसके अलावा, यह अनुबंध सरलीकरण के उल्लंघन का मामला नहीं था, लेकिन दस्तावेजों की जालसाजी, खाली लेटर-हेड, कागजात और अपीलकर्ता के चेक पत्तों के उपयोग के गंभीर आरोप थे - तत्काल मामले में, वहाँ थे ऐसे आरोप थे जो प्रथम दृष्टया एसएस के तहत अपराध के घटक बनते हैं। शिकायत में आईपीसी की धारा 420, 409 और 34 - आरोपों की सत्यता का फैसला मुकदमे में तभी किया जा सकता है जब सबूत पेश किए जाएं - इसके अलावा, पिछली शिकायत को वापस लेने के कारणों का उल्लेख करना भी दूसरी शिकायत को बनाए रखने के लिए एक शर्त नहीं है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज करके कानूनी गलती की, जिससे निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया अपराध का पता चला।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. जहां आरोपी उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है, वहां उच्च न्यायालय के लिए शिकायत में आरोपों की सत्यता का निर्णय करने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। [पैरा 32]

2. अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देता है। वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड की भाषा और भाव, विशेष रूप से, यह अवलोकन कि अनुबंध का उल्लंघन केवल उन मामलों में धोखाधड़ी के अपराध को जन्म देगा, जहां शुरुआत में ही कोई धोखा हुआ था, को समझा जाना चाहिए। उस मामले के तथ्यों का संदर्भ और तदनुसार अर्थ लगाया गया। वाक्यांश "उन मामलों में जहां शुरुआत में ही कोई धोखा दिया गया था" को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है। यह अनुबंध सरलीकरण के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि दस्तावेजों की जालसाजी, अपीलकर्ता के खाली लेटर-हेड, कागजात और चेक पत्तों के उपयोग के गंभीर आरोप हैं। [पैरा 36]

3. इस मामले में, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के स्पष्ट आरोप थे जो प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध बनते हैं। आरोपों की सत्यता का फैसला मुकदमे में तभी किया जा सकता है जब सबूत पेश किए जाएं। इस स्तर पर, यह उच्च न्यायालय के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने और यह तय करने का काम नहीं था कि क्या आरोप सही थे या क्या ये उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही का जवाबी हमला था। [पैरा 37]

4. जतिंदर सिंह मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि यदि शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की डिफ़ॉल्ट पर था, तो उसी तथ्य पर दूसरी शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट को फिर से आवेदन करना स्वीकार्य है। लेकिन यदि संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करना गुण-दोष के आधार पर होता, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। [पैरा 38]

5. पहली शिकायत का अगली शिकायत में उल्लेख न करना भी अप्रासंगिक है, जैसा कि वास्तव में, जतिंदर सिंह के मामले में माना गया है। पिछली शिकायत वापस लेने के कारणों का उल्लेख करना भी दूसरी शिकायत कायम रखने के लिए पूर्व शर्त नहीं है। उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज करके स्पष्ट रूप से कानूनी गलती की, जिससे निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया अपराध का पता चला। [पैरा 39]

जतिंदर सिंह और अन्य बनाम रंजीत कौर **2001 (2) एससीसी 570: [2001] 1 एससीआर 707;** *वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड और अन्य। बनाम केरल राज्य और अन्य।* **(2015) 8 एससीसी 293 - पर निर्भर।**

शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य **(2012) 1 एससीसी 130: [2011] 13 एससीआर 247;** *प्रमथ नाथ तालुकदार और अन्य वी. सरोज रंजन सरकार* **एआईआर 1962 एससी 876: [1962] पूरक एससीआर 297 ;** *पूनम चंद जैन एवं अन्य. वी. फजरू* **(2010) 2 एससीसी 631: [2010] 2 एससीआर 109;** *एम.एस जयंत विटामिन्स लिमिटेड बनाम चैतन्यकुमार और अन्य* **(1992) 4 एससीसी 15***; झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम मोहम्मद शराफुल हक और अन्य* **2005 (1) एससीसी 122: [2004] 5 पूरक एससीआर 790 ;** *हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य* **(1992) सप्प. 1 एससीसी 335 : [1991] 1 पूरक एससीआर 387** *; मृदया रंजन प्रसाद वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य* **(2000) 4 एससीसी 168 : [2000] 2 एससीआर 859 ;** *पंजाब राज्य बनाम सुभाष कुमार और अन्य* **(2004) 13 एससीसी 437;** *जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी एवं अन्य* **(1992) 4 एससीसी 305 : [1992] 1 पूरक एससीआर 226 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2011] 13 एससीआर 247	**पैरा 22 को**	**संदर्भित करता है**
[2001] 1 एससीआर 707	**पैरा 23 पर**	**निर्भर था**
[1962] पूरक। एससीआर 297	**पैरा 24 को**	**संदर्भित करता है**
[2010] 2 एससीआर 109	**पैरा 25 को**	**संदर्भित करता है**
(1992) 4 एससीसी 15	**पैरा 27 को**	**संदर्भित करता है**
[2004] 5 पूरक। एससीआर 790	**पैरा 28 को**	**संदर्भित करता है**
[1991] 1 पूरक। एससीआर 387	**पैरा 28 को**	**संदर्भित करता है**
[2000] 2 एससीआर 859	**पैरा 28 को**	**संदर्भित करता है**
(2004) 13 एससीसी 437	**पैरा 32 को**	**संदर्भित करता है**

[1992] 1 सप्ल.स्क्र.226 में पैरा 32 का उल्लेख है

(2015) 8 एससीसी 293 पैरा 33 पर निर्भर था

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील संख्या 111

सीआरएल में मद्रास के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.03.2005 से 2005 का ओ.पी. नं. 27039.

वी. कनगराज, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. विजया भास्कर अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए

एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, कौस्तुभ शुक्ला, अभय सिंह, राहुल श्याम भंडारी, कोणार्क त्यागी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का फैसला **इंदिरा बनर्जी, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1.यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20-03-2006 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक मूल याचिका संख्या 27039 2005 को अनुमति दी गई है। और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और पहली आरोपी कंपनी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी, के खिलाफ 2005 की अपराध संख्या 54 की आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

2.अपीलकर्ता, श्री रवि कुमार "सरवण यार्न ट्रेडर्स" के मालिक के रूप में सेलम, तमिलनाडु में कपास की जिनिंग और कपास को धागे में बदलने का व्यवसाय करते हैं।

3.अपीलकर्ता ने "सरवण यार्न ट्रेडर्स" के मालिक के रूप में श्री के साथ लेनदेन किया। राजेंद्रन मिल्स लिमिटेड, सेलम (इसके बाद "मिल" के रूप में संदर्भित)। प्रतिवादी क्रमांक 2/अभियुक्त क्रमांक 2 मिल के प्रबंध निदेशक हैं और प्रतिवादी क्रमांक 3/अभियुक्त क्रमांक 3 श्री सुंदरम इसके अध्यक्ष हैं, प्रतिवादी क्रमांक 4/अभियुक्त क्रमांक 4 श्री सुंदर के पुत्र हैं प्रबंध निदेशक प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त संख्या 2 हैं और मिल के मामलों के प्रभारी हैं। प्रतिवादी/अभियुक्त संख्या 5 से 13 भी मिल के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं।

4. दिसंबर 2001 में, मिल ने अपीलकर्ता से मिल को सूती लिंट की आपूर्ति करने का अनुरोध किया ताकि इसे धागे में बदला जा सके। अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं ने 2001 में लेनदेन में प्रवेश किया। बाद में, जनवरी 2002 में, अपीलकर्ता और मिल के बीच लिखित रूप में एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।

5.अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि समझौता ज्ञापन के अनुसार, अपीलकर्ता ने यार्न में रूपांतरण के लिए मिल को 1,03,920 किलोग्राम कपास लिंट की आपूर्ति की। अपीलकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2/अभियुक्त क्रमांक 2 श्री चोकलिंगम ने कपास लिंट की उक्त मात्रा में से 26,93,289/- रुपये मूल्य का लगभग 47,164 किलोग्राम वजन वाला लिंट क्रेडिट आधार पर खरीदा था और शेष राशि जिसका मूल्य 35,26,561.69 रुपये था, को यार्न में बदलने के लिए मिल को सौंपा गया था।

6.अपीलकर्ता के अनुसार, बार-बार अनुरोध के बावजूद मिल ने लिंट को यार्न में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अपीलकर्ता को बाद में पता चला कि सभी आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर आपराधिक विश्वासघात किया और लगभग 62,19,850.50 रुपये के मूल्य पर लगभग 1,08,920/- किलोग्राम वजन वाली पूरी कपास की लिंट बेच दी और बिक्री से प्राप्त आय को हड़प लिया।

7.20-05-2004 को, अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 और 409 के तहत अपराध के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ एडपाडी पुलिस स्टेशन, सलेम जिले में शिकायत दर्ज कराई।

8.चूंकि पुलिस कोई मामला दर्ज करने में विफल रही, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) लागू की। शिकायत के पंजीकरण के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, संकागिरी के आदेश लेने के लिए।

9.सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आदेश के बाद भी पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की. इसके बाद, अपीलकर्ता ने सीआरएल होने के नाते एक याचिका दायर की। 2005 की ओपी संख्या 7715 में अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस निरीक्षक को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

10.यह कहा गया है कि चूंकि इसमें शामिल राशि स्थानीय पुलिस स्टेशन के आर्थिक क्षेत्राधिकार के आह्वान की सीमा से अधिक थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने जांच को जिला अपराध

शाखा में स्थानांतरित कर दिया और इसे अपराध संख्या 54/2005 के तहत 22-06-2005 को धारा 420, 409 व 34 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया।

11.अपीलकर्ता के अनुसार, चूंकि पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, इसलिए अपीलकर्ता को सीआरएल दर्ज करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 2005 के अपराध संख्या 54 के जांच अधिकारी को एफआईआर में उल्लिखित आरोपियों को गिरफ्तार करने, जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में 2005 की ओ.पी. संख्या 23354।

12.दिनांक 29-08-2005 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देकर आपराधिक मूल याचिका का निपटारा कर दिया।

13.यह निवेदन किया गया है कि चूंकि पुलिस निर्देशानुसार तीन महीने के भीतर जांच पूरी नहीं कर सकी, इसलिए उसने आपराधिक विविध याचिका Crl.M.P. दायर की। क्रमांक 9149 ऑफ 2005 सीआरएल में। 2005 के अपराध संख्या 54 में जांच पूरी करने के लिए छह महीने की अतिरिक्त अवधि के विस्तार के लिए 2005 की ओ.पी. संख्या 23354

14.22-09-2005 को प्रतिवादी संख्या 2 से 13 ने सीआरएल दायर किया। 2005 की ओ.पी. 27039 धारा 482 सीआरपीसी के तहत। 2005 की एफआईआर संख्या 54 को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया उन अपराधों को नहीं बनाते हैं जिनके लिए उत्तरदाताओं पर आरोप लगाए गए थे।

15.प्रतिवादी राज्य ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उपरोक्त आवेदन पर अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। और प्रार्थना की कि उक्त आवेदन खारिज कर दिया जाए। विपक्ष में हलफनामे में यह तर्क दिया गया कि जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने व्यावसायिक लेनदेन में प्रवेश करने से पहले अपीलकर्ता को दिए गए खाली लेटर हेड, कागजात और चेक पत्तों का उपयोग करके जाली दस्तावेज बनाए थे। ऐसे में आईपीसी की धारा 468, 471, 420, 409 और 120 (बी) की सामग्री मिलनी थी। इसके अलावा, इस बात के सबूत थे कि एफआईआर में उल्लिखित आरोपियों में से एक प्रसन्ना चक्रवर्ती ने काशी विश्वनाथन, मयप्पन, राजरथिनम और जयपाल के निर्देश पर उनके द्वारा तैयार किए गए जाली पत्र के बारे में गवाही दी थी।

16.18-10-2005 को, अपीलकर्ता ने, एक वास्तविक शिकायतकर्ता के रूप में, Crl.M.P क्रमांकित एक आवेदन दायर किया। सीआरएल में हस्तक्षेप के लिए 2005 की संख्या 8370। ओ.पी. नं.27039/2005.

17.24-11-2005 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुलिस को 2005 की एफआईआर संख्या 54 में जांच पूरी करने और उसमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह महीने का समय दिया।

18.30-11-2005 को, उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता, अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में, पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए मामले को सुलह और मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया।

19.अपीलकर्ता ने यह कहते हुए सुलह कार्यवाही का विरोध किया कि अपराध गैर-शमनीय थे, जिसके बाद मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए फिर से उच्च न्यायालय में भेज दिया गया।

20.आक्षेपित आदेश दिनांक 20-03-2006 द्वारा, उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन की अनुमति दी। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने, बिना कोई कारण बताए, पहली शिकायत वापस ले ली थी और नई शिकायत दर्ज करके अभियोजन शुरू किया था; यह शिकायत एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुई थी; और यह कि शिकायतकर्ता को वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने पर बकाया राशि की वसूली के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

21.इस अपील में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय को 2005 के अपराध संख्या 54 की आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर देना चाहिए था कि अपीलकर्ता ने बिना कारण बताए पिछली शिकायत वापस ले ली थी; लेनदेन प्रकृति में वाणिज्यिक होने के कारण, ऊपर उल्लिखित धाराओं के तहत अपराध की सामग्री अनुपस्थित थी; और अपीलकर्ता का उपचार सिविल मुकदमा दायर करने में निहित है।

22.आपराधिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता को उन्हीं आरोपों पर दूसरी शिकायत करने से रोकता हो, जब पहली शिकायत के कारण दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या आरोपमुक्ति नहीं हुई **हो।** ***शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** में इस न्यायालय ने कहा:

"**18**. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने पर रोक नहीं लगाता है, बशर्ते कि पिछली शिकायत का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया हो या शिकायत की प्रकृति को समझे बिना आदेश पारित किया गया हो या पूरे तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे जा सके या शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटान के बाद कुछ तथ्य पता चले, जिससे संतुलन उसके पक्ष में झुक सकता था। हालाँकि, दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी, जिसमें पिछली शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता के मामले पर पूरी तरह विचार करने के बाद गुण-दोष के आधार पर कर दिया गया है।"

23.जैसा कि इस न्यायालय ने ***जतिंदर सिंह और अन्य बनाम रंजीत कौर*** मामले में कहा था, यह केवल तभी होता है जब किसी शिकायत को जांच के बाद गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, उसी तथ्य पर दूसरी शिकायत नहीं की जा सकती है। हो सकता है, जैसा कि उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है, पहली शिकायत बिना कोई कारण बताए वापस ले ली गई थी। हालाँकि, यह अपने आप में दूसरी शिकायत को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

24.***प्रमथ नाथ तालुकदार और अन्य बनाम सरोज रंजन सरकार*** में, इस अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या प्रतिवादी की दूसरी शिकायत पर विचार किया जाना चाहिए था जब पिछली शिकायत वापस ले ली गई थी। धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन। अनुमति दी गई और शिकायत को बहुमत न्यायाधीशों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत के मनोरंजन पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन इस पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता था, उदाहरण के लिए, जहां पिछला आदेश अधूरे रिकॉर्ड या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी या पारित आदेश पर पारित किया गया था। स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य थे, जिन्हें उचित परिश्रम के साथ पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका था

25.***पूनम चंद जैन और अन्य बनाम फजरू*** में, इस न्यायालय ने ***प्रमथ नाथ*** *(सुप्रा)* में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया और माना कि एक शिकायत को खारिज करने का आदेश समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत के मनोरंजन के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि, जहां पिछला आदेश अधूरे रिकॉर्ड पर पारित किया गया था, या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया

गया था या स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य थे, जिनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता था। पिछली कार्यवाही में उचित परिश्रम को रिकॉर्ड पर लाया गया है।

26.***पूनम चंद जैन*** *(*सुप्रा) में इस न्यायालय ने आगे कहा कि:-

"...यह प्रश्न जतिंदर सिंह बनाम रंजीत कौर में इस न्यायालय के समक्ष फिर से विचार के लिए आया। वहां भी इस न्यायालय ने प्रमथ नाथ के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए माना कि संहिता या किसी अन्य क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के समान आरोप पर दूसरी शिकायत दर्ज करने से रोकता हो। लेकिन इस न्यायालय ने कहा कि जब एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 202 के तहत जांच करता है और योग्यता के आधार पर शिकायत को खारिज कर देता है तो उसी तथ्य पर दूसरी शिकायत नहीं की जा सकती जब तक कि "असाधारण परिस्थितियां" न हों। इस न्यायालय ने पैरा 12 में कहा, यदि पहली शिकायतकर्ता की बर्खास्तगी हो जाती है तो उसी तथ्य पर दूसरी शिकायत दर्ज करने में कोई रोक नहीं है। हालाँकि, यदि संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर था तो स्थिति अलग होगी।

27.सुश्री जयंत विटामिन्स लिमिटेड बनाम चैतन्यकुमार और अन्य **में इस न्यायालय ने माना कि बाध्यकारी और उचित कारणों के अभाव में, न्यायालय के लिए एफआईआर को रद्द करके जांच को रोकना स्वीकार्य नहीं था।**

28.*झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम मोहम्मद शराफुल हक और अन्य* *इस न्यायालय* **ने *हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य*** और उन मामलों की श्रेणी का सारांश और चित्रण किया जिनमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस अदालत ने देखा और कहा:-

> "(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।
>
> (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट

के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और निरंतरता पर स्पष्ट कानूनी रोक है

कार्यवाही और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

29. इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है, और क्षति के नागरिक दायित्व को जन्म देता है। हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय *ने* ***मृदया रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य*** में कहा था**,** केवल अनुबंध का उल्लंघन और धोखाधड़ी, जो एक आपराधिक अपराध है, के बीच अंतर ठीक है। जबकि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमे को जन्म नहीं दे सकता है, धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा धोखाधड़ी के अपराध का आधार है। इस मामले में, एफआईआर में, दस्तावेजों के निर्माण के आरोपों सहित

धोखाधड़ी और बेईमान इरादे के आरोप थे, सत्यता या अन्यथा केवल परीक्षण के दौरान ही निर्धारित किया जा सकता है जब सबूत पेश किए जाते हैं।

30. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को विनियमित करने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित करना न्यायालय के लिए न तो उचित है और न ही स्वीकार्य है।

31. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल तब, जब आरोप, भले ही सच हों, अपराध न हों और/या उनके चेहरे पर तुच्छ और कष्टप्रद हों।

32. जहां आरोपी उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है, वहां उच्च न्यायालय के लिए शिकायत में आरोपों की सत्यता का फैसला करने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अन्य बातों के साथ-साथ ***पंजाब राज्य बनाम सुभाष कुमार और अन्य*** *और* ***जनता दल बनाम एचएस चौधरी और अन्य*** में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

33. ***वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य*** में इस न्यायालय ने देखा:

> "12. कानून का स्थापित प्रस्ताव यह है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के समान होगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखा हुआ हो।
>
> 13. यह सच है कि तथ्यों का एक सेट एक नागरिक गलती के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक नागरिक उपचार उपलब्ध हो सकता है, जो कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।'

34. ***वेसा होल्डिंग (पी) लिमिटेड*** *(सुप्रा)* में, इस न्यायालय ने पाया कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का

कोई इरादा था, जो कि एक अपराध के लिए एक शर्त थी धारा 420 आईपीसी. पाया गया कि शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है।

35. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक निर्णय कानून के मुद्दे के लिए एक मिसाल है जिसे उठाया और तय किया जाता है। किसी निर्णय में वाक्यांशों और वाक्यों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और इसे अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।

36. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देता है। ***वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड*** *(सुप्रा)* की भाषा और भाव, विशेष रूप से, यह अवलोकन कि अनुबंध का उल्लंघन केवल उन मामलों में धोखाधड़ी के अपराध को जन्म देगा, जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई हो। उस मामले के तथ्यों के संदर्भ में समझा गया और तदनुसार व्याख्या की गई। वाक्यांश "उन मामलों में जहां शुरुआत में ही कोई धोखा दिया गया था" को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है। यह अनुबंध सरलीकरण के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि दस्तावेजों की जालसाजी, अपीलकर्ता के खाली लेटर-हेड, कागजात और चेक पत्तों के उपयोग के गंभीर आरोप हैं।

37. इस मामले में, यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायत में ऐसे कोई आरोप नहीं थे जो प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 34 के तहत अपराध का घटक बनते हों। वहां थे

धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के स्पष्ट आरोप जो प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध बनते हैं। आरोपों की सत्यता का फैसला मुकदमे में तभी किया जा सकता है जब सबूत पेश किए जाएं। इस स्तर पर, यह उच्च न्यायालय के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने और यह तय करने का काम नहीं था कि क्या आरोप सही थे या क्या ये उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही का जवाबी हमला था।

38. ***जतिंदर सिंह*** *(सुप्रा)* मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि यदि शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की डिफ़ॉल्ट पर था, तो उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट को फिर से आवेदन करना स्वीकार्य है। लेकिन यदि संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करना गुण-दोष के आधार पर होता, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी।

39. पहली शिकायत का बाद की शिकायत में उल्लेख करने में विफलता भी अप्रासंगिक है, जैसा कि वास्तव में, ***जतिंदर सिंह*** *(सुप्रा)* में माना गया है। पिछली शिकायत

वापस लेने के कारणों का उल्लेख करना भी दूसरी शिकायत कायम रखने के लिए पूर्व शर्त नहीं है। हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज करके स्पष्ट रूप से कानूनी गलती की, जिसने निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा किया। दोहराव की कीमत पर, यह दोहराया गया है कि तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना और आरोपों की योग्यता पर फैसला देना उच्च न्यायालय का काम नहीं था।

40. इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और शिकायत को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। पहला प्रतिवादी कानून के अनुसार आगे की जांच के लिए आगे बढ़ेगा।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।